<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

रेफरेन्स/एलआर/2965/2003/पाली
सरकार बनाम सावित्री</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>

एकलपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

<u>उपस्थित–</u>
श्री ओमप्रकाश भट्ट, उपराजकीय अभिभाषक प्रार्थी
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या–3

<u>निर्णय</u>

दिनांक 28.08.2019

यह रेफरेन्स धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–05–2003से प्रेषित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं तहसीलदार, जैतारण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम जैतारण की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011 से 2030 में खसरा नम्बर 846, 909, 443/1021, 443/1019, 862, 860, 861, 909 एवं 443/1020 की भूमि मन्दिर श्री गोपाल द्वारा बएतमाम जमनादास चेला गोरखदास साकिन देह डोलीदार खुदकाश्त दर्ज थी। उक्त भूमि में से तत्कालीन पुजारी द्वारा खसरा नम्बर 862 एवं 861 कुल रकबा 22बीघा 01बिस्वा भूमि का बैचान नाथूराम रामेश्वर एवं बाबूलाल पुत्र मगजी माली को कर दिया, जिसका नामान्तरकण संख्या 269 क्रेतागण के पक्ष में स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् नाथूराम के निधन होने से उसके वारिसान के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 1326 स्वीकृत हुआ, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः विवादित आराजी को पुनः मूर्ति मन्दिर के नाम दर्ज किया जावे।

</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2965/2003/पाली सरकार बनाम सावित्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थनापत्र को दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई विवादग्रस्त आराजी मूर्ति मन्दिर के नाम दर्ज करने हेतु यह रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित किया है। हमने उभयपक्ष के येाग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 तथा 46 के तहत किसी भी व्यक्ति को माफी मन्दिर की भूमि पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। मूर्ति मन्दिर सतत अयवस्क होने के कारण इस कारण माफी मन्दिर की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। उनका कथन है कि पुजारी को मूर्ति मन्दिर की आराजी का विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। उनका कथन है कि विवादित आराजी मूर्ति मन्दिर की खुदकाश्त की आराजी होने से विवादित आराजी पर क्रेतागण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। अतः रेफरेन्स स्वीकार कर विवादग्रस्त भूमि पुनः मन्दिर के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण के पूर्वज नाथूराम, रामेश्वर एवं बाबूलाल पुत्रगण मगजी माली ने ग्राम जैतारण की विवादित 22 बीघा 11 बिस्वा भूमि खसरा संख्या 862 एवं 861 जरिये विक्रय पत्र दिनांक 04-06-1959 को तत्कालीन खातेदार से खरीद की एवं इस विक्रय पत्र की पालना में नामान्तरकरण संख्या 269 दिनांक 05-12-1965 को स्वीकार किया जाकर खरीददारान को राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज किया गया एवं तभी से अप्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि पर खातेदारान की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2965/2003/पाली सरकार बनाम सावित्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हैसियत से लगातार काबिजकाश्त है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने कथन की पुष्टि में विक्रय पत्र दिनांक 04-06-1959, जमाबन्दी सम्वत् 2024-27, 2028-31, 2032-33, 2036-39, 2041-44, 2045-48, 2049-52, 2053-56 एवं 2061-64 की प्रतियां पेश की है। उनका कथन है कि नाथूराम के निधन होने पर उसके वारिसान के नाम उक्त वर्णित भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 1326 राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई। अप्रार्थीगण पिछले 42 वर्षो से उक्त वर्णित भूमि पर खातेदार की हैसियत से काबिजकाश्त है। मौजूदा रेफरेन्स असाधारण विलम्ब से पेश किया है जो पोषनीय नहीं है। उनका कथन है कि प्रार्थी डोली बनाम मन्दिर मूर्ति श्री गोपालजी जैतारण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, जैतारण के यहां नियमित वाद पत्र संख्या 176/2017 एवं राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 1576/2016 प्रस्तुत कर रखा है जिसमें पक्षकारों के हकों का निर्धारण होना है एवं जब नियमित राजस्व वाद, विवादित भूमि के संबंध में विचाराधीन है तो रेफरेन्स की समरी प्रासेडिंग पोषनीय नहीं है। उनका यह भी कथन है कि विक्रय विलेख की वैद्यता एवं विधि मान्यता, रेफरेन्स की सरसरी प्रक्रिया में तय नहीं की जा सकती एवं जब तक विक्रय पत्र दिनांक 04-06-1959 सक्षम न्यायालय के द्वारा निरस्त नहीं किया जाता तब तक उसकी पालना में तस्दीक किया गया नामान्तरकरण भी निरस्त नहीं किया जा सकता। अतः रेफरेन्स स्वीकार योग्य नहीं है। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में 2008 आरआरटी पेज 708, 2019	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2965/2003/पाली सरकार बनाम सावित्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आरबीजे पेज 240, 2015 आरआरडी पेज 556, 2016 आरआरटी I पेज 651, 2012 आरबीजे पेज 123 एवं 1996 आरआरटी पेज 132 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पारित निर्णय एवं उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से प्रस्तुत प्रकरण में यह पूर्णतया साबित है कि अप्रार्थीगण के पूर्वज नाथूराम, रामेश्वर एवं बाबूलाल पुत्रगण मगजी माली ने ग्राम जैतारण की विवादित 22 बीघा 11 बिस्वा भूमि खसरा संख्या 862 एवं 861 जरिये विक्रय पत्र दिनांक 04.06.1959 को तत्कालीन खातेदार से खरीद की एवं इस विक्रय पत्र की पालना में नामान्तरकरण संख्या 269 दिनांक 05.12.1965 को स्वीकार किया जाकर खरीददारान को राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज किया गया। तत्पश्चात् नाथूराम के निधन होने पर उसके वारिसान के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 1326 राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई। इसकी पुष्टि में विक्रय पत्र दिनांक 04-06-1959, जमाबन्दी सम्वत् 2024-27, 2028-31, 2032-33, 2036-39, 2041-44, 2045-48, 2049-52, 2053-56 एवं 2061-64 से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीगण पिछले 42 वर्षों से उक्त वर्णित भूमि पर खातेदार की हैसियत से काबिजकाश्त है तथा मौजूदा रेफरेन्स असाधारण विलम्ब से पेश किया है जो पोषनीय नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2965/2003/पाली सरकार बनाम सावित्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से यह भी प्रमाणित होता है कि प्रार्थी डोली बनाम मन्दिर मूर्ति श्री गोपालजी जैतारण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, जैतारण के यहां नियमित वाद पत्र संख्या 176/2017 एवं राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 1576/2016 प्रस्तुत कर रखा है जिसमें पक्षकारों के हकों का निर्धारण होना है एवं जब नियमित राजस्व वाद, विवादित भूमि के संबंध में विचाराधीन है तो रेफरेन्स की समरी प्रासेडिंग पोषनीय नहीं है। इसके अलावा विक्रय विलेख की वैद्यता एवं विधि मान्यता, रेफरेन्स की सरसरी प्रक्रिया में तय नहीं की जा सकती एवं जब तक विक्रय पत्र दिनांक 04-06-1959 सक्षम न्यायालय के द्वारा निरस्त नहीं किया जाता तब तक उसकी पालना में तस्दीक किया गया नामान्तरकरण भी निरस्त नहीं किया जा सकता। जैसाकि 2008 आरआरटी पेज 708 में निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों में निम्नानुसार अभिमत प्रतिपादित किया गया है – **2019 RBJ page 240 (HC) – State of Rajasthan through tehsildar Jaipur Vs Gulab Bai and others.** In the above state case, Hon'ble Rajasthan High Court, relying upon law laid down in 1996 (2) WLC 36, 1996 (1) DNJ 100 (Raj.), 2015 (3) WLC 548 (Raj.), 2015 (3) DNJ 1074 (Raj.) has held as under:- That Rajasthan Land Revenue Act 1956 Sec. 82 – Although there is no limitation prescribed for making reference but delay should be reasonable. Delay of 44 years cannot be said to be reasonable in any manner. (राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 – धारा 82 – हालाकि रेफरेन्स	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2965/2003/पाली सरकार बनाम सावित्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करने के लिये किसी प्रकार की म्याद की सीमा निर्धारित नहीं है फिर भी देरी युक्ति युक्त होनी चाहिए। 44 वर्ष की देरी को किसी भी प्रकार से युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता।) Larger Bench of Hon'ble Rajasthan High Court in a case named Tara and 35 others Vs State of Rajasthan and others decided on 15.07.2015 and reported in **2015 RRD page 556** has held as under:- That even if no time limit is fixed for reference under section 82 of the Rajasthan Land Revenue Act 1956 and under section 232 of the Rajasthan Tenancy Act 1955 in respect of the land held by a Hindu Idol (deity), a reference can be made within a reasonable time, which will depend upon the facts and circumstances of each case. Even if the fraud is alleged, the power must not be exercised after unreasonable period, such as, after several deceases claiming rights over the land. **2016 RRT (1) page 651 (HC)** Rajasthan Land Revenue Act 1956 Sec. 82 – Reference – Allotment sought to be cancelled after 25 years – Propriety – No limitation prescribed-Unreasonable delay of 25 years-Held, References is liable to be dismissed. Hon'ble Supreme Court in case "Joint Collector Ranga Reddy District and another Vs D. Narsing Rao and others reported in (2015) 3 SCC 695 has held that when no time limit has been prescribed under the Statute for invocation of certain power, such power must be exercised	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2965/2003/पाली सरकार बनाम सावित्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	within a reasonable time. Absence of any period of limitation does not mean that power can be exercised at any time. Similar view has been taken by Hon'ble Supreme court in State of Punjab Vs Bhatinda District Cooperative Milk Producers Union Ltd. reported in (2007) 11 SCC 363, State of Gujrat Vs Patel Raghav Natha and others reported in AIR 1969 SC 1297, Mansa Ram Vs S. P. Pathak and others reported in AIR 1983 SC 1239. **2012 RBJ page 123** Rajasthan Land Revenue Act 1956 Sec. 82 – When suit is pending is trial court regarding disputed land, reference is not maintainable. When a suit is pending in the trial court about the disputed land. Suit will be decided on merits after considering all the evidence on record. Therefore reference is not maintainable. **Reference rejected.** **1996 RBJ page 132** Rajasthan Land Revenue Act 1956 Sec. 82 – When Regular suit is pending, reference should not be made. When regular suit is pending in respect of suit land in competent court between the parties, no reference should be made, as decided by larger bench reported in 1956 RRD 65. उक्त उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेफरेन्स अत्यधिक विलम्ब	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2965/2003/पाली सरकार बनाम सावित्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यानि 42 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, जो कि गंभीर रूप से मियाद बाहर है। प्रस्तुत प्रकरण में यह भी स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थी डोली बनाम मन्दिर मूर्ति श्री गोपालजी जैतारण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, जैतारण के यहां नियमित वाद पत्र संख्या 176/2017 एवं राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 1576/2016 प्रस्तुत कर रखा है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 03-10-2019 नियत है एवं जिसमें पक्षकारों के हकों का निर्धारण होना है एवं जब नियमित राजस्व वाद, विवादित भूमि के संबंध में विचाराधीन है तो रेफरेन्स की समरी प्रासेडिंग पोषनीय नहीं है। इसके अलावा विक्रय विलेख की वैद्यता एवं विधि मान्यता, रेफरेन्स की सरसरी प्रक्रिया में तय नहीं की जा सकती एवं जब तक विक्रय पत्र दिनांक 04-06-1959 सक्षम न्यायालय के द्वारा निरस्त नहीं किया जाता तब तक उसकी पालना में तस्दीक किया गया नामान्तरकरण भी निरस्त नहीं किया जा सकता। उक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा खसरा नम्बर 862 एवं 861 की भूमि बाबत् प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज नियमानुसार अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	